

सेवा में,
 कम्पनी सचिव
 पंजाब नैशनल बैंक
 शेयर विभाग,
 प्र. का. 5, संसद मार्ग
 नई दिल्ली - 110001

फार्म- "बी"

प्रॉक्सी फार्म

(एकल/प्रथम शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

डी पी आई डी सं. _____
 ग्राहक आई डी सं. _____
 (अमूर्त शेयरो के लिये)
 पंजीबद्ध फोलियो सं. _____
 (मूर्त शेयरो के लिये)

मैं/हम _____ राज्य _____ में जिला _____ का/के निवासी _____
 पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते श्री /श्रीमती/ कुमारी _____ राज्य _____
 में जिला _____ के निवासी _____ को बैंक के शेयरधारको की **नवीं वार्षिक आम बैठक** में
 जो बुधवार दिनांक 21 जुलाई 2010 को फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली 110001 में आयोजित होगी और इसके किसी स्थगन पर मेरे/ हमारे
 प्राक्सी के रूप में मेरे/ हमारे लिए मत देने के लिये प्रतिनियुक्त करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं।

कृपया रसीदी टिकट
चिपकाएं

_____ दिन _____ 2010 को हस्ताक्षरित

_____ प्राक्सी के हस्ताक्षर

_____ प्रथम धारक / एकल शेयर धारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्राक्सी दस्तावेज के वैध होने के लिए
 - क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत लिखित रूप में अधिकृत अटार्नी हस्ताक्षर करेगा।
 - ख. संयुक्त धारको के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
 - ग. निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा सामान्य मोहर यदि हो तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप से विधिवत अधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
2. प्राक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अगूठें का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो।
3. प्राक्सी जिसके साथ में
 - क. पॉवर आफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख. उक्त पॉवर आफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटेरी या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, प्र. का. 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पास अधिकतम वृहस्पतिवार, 15 जुलाई, 2010 (सांय 5 बजे तक) से पूर्व जमा करवा दिया जाए।
4. विधिवत टिकट लगी प्रॉक्सी ही वैध मानी जायेगी।
5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी दस्तावेज अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा।
6. यदि प्राक्सी दस्तावेज विकल्प के तौर पर दो व्यक्तियों को दिए गये हो तो केवल एक फार्म का निष्पादन किया जायेगा।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का दस्तावेज निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा।
8. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्रॉक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।
9. इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्राक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।



To,
 The Company Secretary,
 Punjab National Bank
 Share Department
 HO: 5, Sansad Marg
 New Delhi - 110001

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Sole / First Shareholder)

DPID No. _____
Client ID no. _____
(For Dematerialised shares)
Regd. Folio No. _____
(For Physical shares)

I/We _____ resident/s of _____ in the District of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of Punjab National Bank hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the **NINTH ANNUAL GENERAL MEETING** of the shareholders of the Punjab National Bank to be held on Wednesday, the 21st July, 2010 at FICCI Auditorium, Tansen Marg, New Delhi 110001 and at any adjournment thereof.

Please affix
 Revenue
 Stamp

Signed this _____ day of _____ 2010

 Signature of the Proxy

 Signature of Sole/First shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- The instrument of proxy to be valid,
 - in the case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - in the case of a body corporate, shall be signed by its authorized officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
- The proxy together with
 - The Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - A copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Punjab National Bank, HO: 5, Sansad Marg, New Delhi-110001, not later than Thursday, the 15th July, 2010.(5.00 p.m.)
- No proxy shall be valid unless proper revenue stamp is affixed on it.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of PUNJAB NATIONAL BANK.
- The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.